

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 890]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2024 — पौष 10, शक 1946

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-178/2024/18.— छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 20 की उपधारा (5) सहपठित धारा 423 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, नगर पालिक निगमों में निर्वाचित परिषद् का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप परिषद् की शक्तियों को प्रयोग में लाने तथा उसके कर्तव्यों का सम्पादन किये जाने कॉलम (6) में वर्णित अनुसार प्रशासक नियुक्त करता है:—

स. क्र.	नगर पालिक निगम का नाम	प्रथम सम्मेलन की तिथि	निकाय के कार्यकाल समाप्ति की तिथि	निकाय में प्रशासक की नियुक्ति दिनांक	निकाय हेतु प्रशासक का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पालिक निगम राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव	03.01.2020	02.01.2025	03.01.2025	कलेक्टर जिला-राजनांदगांव
2	नगर पालिक निगम बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	04.01.2020	03.01.2025	04.01.2025	कलेक्टर जिला-बिलासपुर
3	नगर पालिक निगम जगदलपुर, जिला-बस्तर	04.01.2020	03.01.2025	04.01.2025	कलेक्टर जिला-बस्तर
4	नगर पालिक निगम रायपुर, जिला-रायपुर	06.01.2020	05.01.2025	06.01.2025	कलेक्टर जिला-रायपुर
5	नगर पालिक निगम धमतरी, जिला-धमतरी	06.01.2020	05.01.2025	06.01.2025	कलेक्टर जिला-धमतरी
6	नगर पालिक निगम दुर्ग, जिला-दुर्ग	06.01.2020	05.01.2025	06.01.2025	कलेक्टर जिला-दुर्ग
7	नगर पालिक निगम रायगढ़, जिला-रायगढ़	06.01.2020	05.01.2025	06.01.2025	कलेक्टर जिला-रायगढ़
8	नगर पालिक निगम चिरमिरी, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	06.01.2020	05.01.2025	06.01.2025	कलेक्टर जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
9	नगर पालिक निगम अंबिकापुर, जिला-सरगुजा	08.01.2020	07.01.2025	08.01.2025	कलेक्टर जिला-सरगुजा (अंबिकापुर)
10	नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा	10.01.2020	09.01.2025	10.01.2025	कलेक्टर जिला-कोरबा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

क्रमांक एफ 1-178/2024/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-178/2024/18 दिनांक 31-12-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2024

NOTIFICATION

No. F 1-178/2024/18.— In exercise of the powers conferred under Sub section (5) of Section 20 read with Section 423 of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, on expiration of the elected council hereby, appoint Administrator in the municipal corporations as mentioned in column (6):-

S.No.	Name of Municipal Corporation	Date of the first meeting	Date of expiration of the term of the body	Date of appointment of the Administrator for the body	Designation of the Administrator for the body
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Municipal Corporation Rajnandgaon, Distt- Rajnandgaon	03-01-2020	02-01-2025	03-01-2025	District- Collector Rajnandgaon
2	Municipal Corporation Bilaspur, Distt- Bilaspur	04-01-2020	03-01-2025	04-01-2025	District- Collector Bilaspur
3	Municipal Corporation Jagdalpur, Distt- Bastar	04-01-2020	03-01-2025	04-01-2025	District- Collector Bastar (Jagdalpur)
4	Municipal Corporation Raipur, Distt- Raipur	06-01-2020	05-01-2025	06-01-2025	District- Collector Raipur
5	Municipal Corporation Dhamtari, Distt- Dhamtari	06-01-2020	05-01-2025	06-01-2025	District- Collector Dhamtari
6	Municipal Corporation Durg, Distt- Durg	06-01-2020	05-01-2025	06-01-2025	District- Collector Durg
7	Municipal Corporation Raigarh, Distt- Raigarh	06-01-2020	05-01-2025	06-01-2025	District- Collector Raigarh
8	Municipal Corporation Chirmiri, Distt- Manendragarh- Chirmiri- Bharatpur	06-01-2020	05-01-2025	06-01-2025	District- Collector Manendragarh- Chirmiri- Bharatpur
9	Municipal Corporation Ambikapur, Distt- Surguja	08-01-2020	07-01-2025	08-01-2025	District- Collector Surguja (Ambikapur)
10	Municipal Corporation Korba, Distt- Korba	10-01-2020	09-01-2025	10-01-2025	District- Collector Korba

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Joint Secretary.